

भारत सरकार / Government of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health and Family Welfare

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय Directorate General of Health Services

आखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

हाजी अली,के.के. मार्ग, महालक्ष्मी,मुंबई – 400 034.

Haji Ali, K.K.Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400 034.

संदर्भ सं./ Ref.No.:Estt/Condemnation/Quot/2187

दिनांक / Dated : 02/03/2019

सेवा में /To,

सूची में दर्शाए गए अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री एवं निपटान हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं ।

SEALED QUOTATION ARE INVITED FOR SALE AND DISPOSAL OF SCRAP MATERIAL (WOODEN AND METAL FURNITURE) CONDEMNED ITEMS.

इसके साथ संलग्न सूची के अनुसार अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री का प्रस्ताव किया जाता है । इच्छुक बोलीदाता/रद्दी व्यापारी, अनुपयोगी वस्तुओं की खरीद हेतु अधिकतम दर प्रस्तुत करें ।

It is proposed to dispose off Condemned Items as per list attached herewith on 'As is where is basis' The interested bidders/scrap dealers should submit the maximum rate for purchase of the Condemned articles/ items.

1. निविदामुहरबंद लिफाफे के ऊपर **"स्कैप वस्तुओं (लकड़ी और स्टील के फर्नीचर) की बिक्री हेतु निविदाएँ** शीर्षक देकर **निदेशक, आखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, हाजी अली, मुंबई-400 034** को भेजें । इसे दिनांक **14/03/2019** को 12.30 बजे (अपराह्न)याउससे पहले ब्लॉक "बी" स्थित स्थापना अनुभाग में उपलब्ध निविदा पेटी में डालें ।

The quotation should be submitted in sealed envelope superscribed as **"Quotation for Sale of Scrap Items (Wooden and Metal Furniture)"** to the Director, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Haji Ali Park, Mumbai – 400 034. The same is to be dropped in quotation Box kept in Establishment Section (Room No. 201) of block 'B' on or before **14/03/2019** 12.30 P.M. (I.S.T.).

2. केवल वही निविदामान्य होगी और उसी पर विचार किया जाएगा जिसपर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम एवं पदनाम के साथ पैन/जीएसटी संख्या होगी। एजेंसी के पास अप्रयोज्य पुरानी वस्तुओं के निपटान का अनुभव एवं वैध पैन,टिन एवं जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए ।

Quotation with name & designation of authorized signatory by mentioning PAN/GST Number will only be valid.The Agency should have past experience is disposal of unserviceable old goods and should have valid PAN, TIN & GST registration.

3. हर सूचीबद्ध अनुपयोगी वस्तु की अधिकतम दर ही स्वीकार की जाएगी ।
The highest quotation for each listed condemned items will only be accepted.
4. अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं ।
The undersigned reserves the rights to reject or accept the tenders, without any reason being assigned.
5. अनुपयोगी वस्तुओं को देखने के लिए रद्दी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे दिनांक **08/03/2019** 2.00 बजे अपराह्न एवं **09/03/2019** को 12.00 बजे अपराह्न संस्थान में आए ।
Scrap dealers are requested to visit this Institute on **08/03/2019** before 2.00 p.m. and **09/03/2019** before 12.00 p.m.to view condemned items.

6. रद्दी व्यापारी **₹. 10,000/-**(₹.केवल दस हजार)का एक क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रतिभूति राशि जो **"वेतन एवं लेखा अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मुंबई – 400 008"**के पक्ष में आहरित, होजमा कराए । अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद इसे लौटा दिया जाएगा । सुरक्षा जमा के बिना प्राप्त निविदा को अवैध समझा जाएगा एवं अयोग्य ठहराया जाएगा ।

The Scrap dealer should deposit the Security Deposit in the form of a Crossed Demand Draft of **₹. 10,000/-** (₹.Ten thousand only) drawn in favour of **"The Pay and Accounts Officer, Ministry of Health & Family Welfare, Mumbai - 400 008"**. The same will be returned after obtaining the clearance certificate from the undersigned. Quotation received without Security deposit shall be treated as invalid and shall be disqualified.

7. सफल रद्दी व्यापारियों की प्रतिभूति राशि निम्न शर्तें पूर्ण होने से पहले वापस नहीं की जाएगी ।
The Security Deposit of successful scrap dealer will not be returned until following conditions are fulfilled :

- 1) यदि, संबंधित विभागों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तब तक ।
If, Until complete compliance report is not received from concerned departments
- 2) यदि, सभी सूचिबद्ध अनुपयोगी फर्नीचर (लकड़ी/स्टील) नहीं ले जाए जाने सकते, तब तक ।
If, all listed condemned furniture (Wooden/Metal) are not taken away.
- 3) यदि, कोई वस्तु विभाग की जानकारी के बिना ले जाई जाए ।
If, any additional item is taken away without the knowledge of the department.
- 4) यदि, रद्दी व्यापारी द्वारा संस्थान की किसी संपत्ति की हानी हुई हो/टूटी हो ।
any property of this Institute is damaged/broken by the scrap dealer.

8. अनुपयोगी सामग्री को 27 मार्च, 2019 तक ले जाना होगा अन्यथा सुरक्षा जमा राशी जब्त कर ली जाएगी । इन वस्तुओं को केवल प्रातः 9.00 बजे से 3.00 बजे अपराह्न के बीच ले जाया जा सकता है । किसी भी स्थिति में रद्दी व्यापारियों को 3.00 बजे अपराह्न के बाद अनुपयोगी सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

Condemned material has to be taken away by 27th March, 2019 else the security Deposit will be forfeited. Condemned items can only be taken out between 9.00 a.m. to 3.00 p.m. The party will not allowed take away condemned articles after 3.00 p.m. in any circumstances.

9. अनुपयोगी वस्तुओं को ले जाते समय पूर्ण शांति एवं व्यावस्था बनाए रखनी होगी क्योंकि यह संस्थान भारत सरकार के अधिन अस्पताल है ।

Proper decorum and silence has to be maintained while taking away condemned articles as this Institute is hospital under Government of India.

Sd/-

(विशेषज्ञ ग्रेड-I (विकिरण विशेषज्ञ) /

Specialist Gr.I (Radio Diagnosis) /

अध्यक्षा निष्प्रयोज्य समिति / Chairperson Condemnation Committee